संख्या-48/2024/आई/769859/2024/001-23-14002(002)/15/2024

प्रेषक,

नीरजा सक्सेना,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-14 **लखनऊ : दिनांक 15.10.2024**

विषय:-वित्तीय वर्ष 2024-25 में चीनी मिल परिक्षेत्र में कृषि विपणन सुविधाओं हेतु मार्गो का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण/नवनिर्माण/पुनर्निर्माण कार्यो हेतु एकमुश्त व्यवस्था योजनान्तर्गत गोरखपुर मण्डल के विभिन्न जनपदों के कुल 07 कार्यो की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (मु0-1) लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्रांक-696सी/389सी-गन्ना कुशीनगर/24-25, दिनांक 27.08.2024 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चीनी मिल परिक्षेत्र में कृषि विपणन सुविधाओं हेतु मार्गों का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण/नवनिर्माण/पुनर्निर्माण कार्यों हेतु एकमुश्त व्यवस्था योजनान्तर्गत गोरखपुर मण्डल के विभिन्न जनपदों से प्राप्त अधोलिखित तालिका में उल्लिखित 07 कार्यो, जिनके सम्मुख कॉलम-8 में 5 वर्षीय अनुरक्षण सहित कार्य की अंकित लागत, जिसका कुल योग रू0 498.97 लाख (रूपये चार करोड़ अट्ठानबे लाख सत्तानबे हजार मात्र) होता है, की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2024-25 में लागत के सापेक्ष कॉलम-9 में अंकित कुल रू0 154.75 लाख (रू0 एक करोड़ चौव्वन लाख पचहत्तर हजार मात्र) व्यय हेतु निम्नलिखित विवरणानुसार तथा शर्तों/प्रतिबन्धों सहित अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	कार्य योजना का क्रमांक	जनपद	मार्ग का नाम/ प्रोजेक्ट कोड	लम्बाई किमी में	निर्माण की लागत	5 वर्षीय अनुरक्षण की लागत	कुल लागत (6+7)	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	362	प्रा0ख0 कुशीनगर	धुरियाकोट में रमाशंकर मास्टर के घोठे से आगे की और तक सम्पर्क मार्ग का पुननिर्माण का कार्य।	0.680	38.16	2.77	40.93	12.59
2	363	प्रा0ख0 कुशीनगर	टेकु आटार पी0डब्लू0डी0 रोड से भवानी टोला सम्पर्क मार्ग का पुननिर्माण काय कार्य।	0.500	34.87	2.53	37.40	11.51
3	364	नि0ख0 कुशीनगर	पकडी बांगर कुसुमही इन्दसेनवा सम्पर्क मार्ग का पुनर्निर्माण का कार्य।	1.400	82.41	4.19	86.60	27.20
4	365	नि0ख0 कुशीनगर	बेलवनिया से दरगौली सम्पर्क मार्ग का पुनर्निर्माण का कार्य।	0.700	32.91	2.39	35.30	10.86
5	366	नि0ख0 कुशीनगर	शेषाछापार से गंगा छपरा प्र0/द्वि0 सम्पर्क मार्ग पुनर्निर्माण का कार्य।	1.850	123.24	6.76	130.00	40.67

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

			(202400003100453)					
6	**367**	प्रा0ख0 महराजगंज	निचलौल सिसवा मार्ग से भोथियाही बेलवा भाग-1 व 2 सम्पर्क मार्ग का पुनर्निर्माण का कार्य।	1.460	72.94	5.29	78.23	24.07
7	**368**	नि0ख0 महराजगंज	सेवतरी से मरजादपुर सम्पर्क मार्ग का पुनर्निर्माण का कार्य।	1.200	84.38	6.13	90.51	27.85
	योग:-			**7.790**	**468.91**	**30.06**	**498.97**	**154.75**

<u>नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों</u>

1. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-बी-2-2528/दस-2014-10/77, दिनांक 26.08.2014 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर 318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।
3. कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी विभाग की होगी। प्रायोजना का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।
4. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त-पुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
5. स्वीकृत धनराशि कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिये है, उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।
6. यह सुनिश्चित किया जाय कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।
7. अधिष्ठान व्यय की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष जमा की जायेगी। निर्माण कार्य की लागत पर अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-ए-2-23/दस- 2011-17(4)/75 दिनांक 25-01-2011 के साथ पठित शासनादेश सं0-ए-2-1606/दस-2014-17(4)/75 दिनांक 11 नवम्बर 2014 द्वारा जारी विस्तृत दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यवाही करते हुए लोक निर्माण विभाग के प्राप्ति लेखाशीर्षक में ट्रान्सफर इन्ट्री द्वारा क्रेडिट करके जमा की जायेगी।
8. लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।
9. मूल्य ह्रास निधि की धनराशि सुसंगत लेखाशीर्षक में नियमानुसार जमा करायी जायेगी।
10. प्रायोजना में यदि भूमि अध्याप्ति का प्राविधान किया गया है, तो भूमि का क्रय सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
11. यह सुनिश्चित किया जाय कि परियोजना में प्रस्तावित कार्य विभागीय नियमों/मानक के अंतर्गत है।
12. निर्माण कार्य हेतु प्रस्तावित मार्गों के लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व में होना सुनिश्चित किया जायेगा।
13. प्रस्तावित निर्माण कार्य में किसी भी प्रकार से किसानों की निजी कृषि भूमि का उपयोग नहीं किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

14. यह सुनिश्चित किया जाय कि प्रस्तावित निर्माण ट्रैफिक सर्वे के अनुसार चौड़ीकरण हेतु पी०सी०यू० मानकों का पूर्णतः पालन करते है।
15. परियोजना की लागत व समय सीमा में बढोतरी न हो इस हेतु परियोजना के निर्माण कार्य की साप्ताहिक समीक्षा सुनिश्चित की जायेगी।
16. परियोजना कार्य निर्धारित समय में पूर्ण करना तथा भविष्य में परियोजना का पुनरीक्षण न किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
17. आगणन में सम्मिलित जी०एस०टी० की धनराशि वास्तवित रूप से जिनती देय होगी उतनी ही भुगतान की जायेगी, प्रस्तावित आगणन उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।
18. नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक आपत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करने का दायित्व विभाग/कार्यदायी संस्था का होगा।
19. प्रयोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्य की मात्राओं का यथावत मानते हुये लागत का परीक्षण किया गया है। मात्राओ के निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व विभाग/कार्यदायी संस्था का होगा।
20. प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों को यथावत मानते हुये लागत स्वीकृत की गयी है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य बढाना, सडक की लम्बाई एवं चौडाई में परिवर्तन, प्रस्तावित क्रस्ट डिजाइन में परिवर्तन एवं अन्य उच्च विशिष्टियों इस्तेमाल करना इत्यादि, शासन का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
21. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्य की द्विरावृत्ति (डुप्लकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व कार्यदायी संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत है और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
22. विभागीय प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन समिति द्वारा लगायी गयी शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
23. वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024, यथासंशोधित कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2024/बी-1-607/10-2024-231/2024, दिनांक 19.06.2024 में दिये गये दिशा-निर्देशों एवं वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों, स्थाई आदेशों आदि का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
24. लोक निर्माण विभाग में सी०सी०एल० प्रणाली समाप्त किए जाने के फलस्वरूप वर्क्स से सम्बन्धित बजट के ऑन लाइन आवंटन किए जाने हेतु डी०डी०ओ० कोड आवंटन विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या- 10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04-05-2022 तथा कार्यमदों के व्यय को सी०सी०एल० प्रणाली से मुक्त रखते हुए सामान्य कोषागार प्रणाली से आच्छादित किए जाने के सम्बन्ध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2022/ए-2-76/दस-2022-10(9)/95, दिनांक 13-04-2022 में निहित व्यवस्था/शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
25. परियोजना पूर्ण होने में विलम्ब की स्थिति उत्पन्न होने अथवा परियोजना की लागत में वृद्धि की दशा में इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग एवं मुख्य अभियन्ता (मु0-1) एवं सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता का होगा तथा भविष्य में यदि परियोजना की लागत में वृद्धि होती है तो ऐसी दशा में लागत में बढोत्तरी की कुल धनराशि की वसूली सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ताओं आदि के वेतन से की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

26. उपरिलिखित सभी शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने का दायित्व प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग एवं मुख्य अभियन्ता (मु0-1) एवं सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता का होगा।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रुपये 1,54,75,000 (रू0 एक करोड़ चौव्वन लाख पचहत्तर हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20242025 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 058 लेखाशीर्षक 5054043371355 चीनी मिल परिक्षेत्र में कृषि विपणन सुविधाओं हेतु मार्गों का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण/ नवनिर्माण/पुनर्निर्माण कार्यों हेतु एकमुश्त व्यवस्था मानक मद 24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा ।

3- यह आदेश कम्प्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-E-8-232-X-2024-25-दिनांक:4-10-2024 में प्राप्त वित्त विभाग के सहमति से निर्गत किये जा रहे है ।

भवदीया,
नीरजा सक्सेना
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या व दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा० मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उ०प्र० शासन ।
2- निजी सचिव, मा० राज्यमंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उ०प्र० शासन ।
3- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० प्रयागराज ।
4- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० प्रयागराज ।
5- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी ।
6- प्रमुख अभयिन्ता (ग्रामीण सड़क) लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
7- मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
8- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
9- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग ।
10- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी ।
11- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग ।
12- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु०-8/वित्त (आय-व्ययक) अनु०-1, उ०प्र० शासन ।
13- राज्य योजना आयोग-1/2, उ०प्र० शासन ।
14- अधीक्षण अभियन्ता, नियोजन/परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
15- लोक निर्माण अनुभाग-1/9/10/11 एवं 12, उ0प्र0 शासन ।
16- नोडल अधिकारी (आनलाईन बजट एलॉटमेन्ट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन ।
17- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,
नीरजा सक्सेना
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in